ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ख्या : 504/2016

धन्नालाल पुत्र छोटूलाल जाति माली निवासी मांगरोल जिला बारां

.......प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री भंवर सिंह गौड, श्री लवकुल गौड

दायरा दिनांकः 19.09.2016 निर्णय दिनांक : 08.10.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 433 नया 434 पुराना खसरा नं0 3014 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 4167 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 4213 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 4628 रकबा 0.95 है0 आराजी वाके माल मांगरोल में स्थित है। प्रार्थी इस आराजी का एक मात्र खातेदार है इस आराजी खसरा नं0 3014 रकबा 0.04 है0 आराजी विवादित है। इस खसरा नं0 3014 रकबा 0.04 है0 के सेटलमेंट से पुर्व खसरा नं0 2158 मि0 रकबा 10 बिस्वा है आराजी प्रार्थी के पिता छोट्या के खाते में दर्ज थीं बाद सेटलमेंट खसरा नं0 2158 मि0 रकबा 10 बिस्वा के नये खसरा नं0 3014 रकबा 0.04 है0 दर्ज किया गया। प्रार्थी के खातें में रकबा 0.10 है0 आराजी के स्थान पर 0.06 है0 आराजी कम करके खाते में दर्ज की गई इस प्रकार प्रार्थी अपने उक्त खाते में खसरा नं0 3014 में रकबा 0.04 है0 के स्थान पर रकबा 0.10 है0 आराजी दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 3014 रकबा 0.04 है0 के स्थान पर रकबा 0.10 है0 करने की कृपा करें। उक्त खाते में कुल किता 4 रकबा 1.64 है0 के स्थान पर रकबा 1.70 है0 दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 19.09.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/4892 दिनांक 01.10.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी की वर्तमान आराजी के खसरा नं0 3014 रकबा 0.04 है0 है। सेटलमेंट से पूर्व खसरा नं0 3014 के साबिक खसरा नं0 2158 मि0 रकबा 10 बिस्वा थे। खसरा नं0 3014 के आस पास स्थित खसरा नम्बरान का अध्ययन सेटलमेंट जमाबंदी से करने पर पाया गया कि खसरा नं0

िकटस्थ स्थित किसी भी खसरा नम्बर के रकबे में बढोत्तरी नही हुई हैं। अतः प्रार्थी के खसरा के वर्तमान रकबे में बढोत्तरी किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम मांगरोल में स्थित आराजी सरा नं0 2158 मि0 रकबा 10 बिस्वा में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थी के उक्त आराजी के समीपस्थ स्थित किसी भी खसरा नम्बरान में दौराने सेटलमेंट रकबा बढा हुआ नही पाया गया है और ना ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नंम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना